दिसंबर 2024

पैरवी संवाद

पब्लिक एडवोकेसी इनीशिएटिव्स फॉर राइट्स एण्ड वैल्यूज़ इन इण्डिया

साथियो,

विगत महीनों में देश-दुनिया के पटल पर कई महत्वपूर्ण घटनाऐं हुई हैं जिन्होंने मानवाधिकार और न्याय पर नये सिरे से विचार-विमर्श को मजबूर किया है। जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'कॉप' के विमर्शों में जलवायु वित्त कोई नया विषय नहीं है। इसी बिंदु को लेकर इस बार कॉप29 को जिस तरह 'फाइनेंस कॉप' कहा जा रहा था, उसके परिणाम में जलवायु वित्त पर विकसित देशों की प्रतिक्रिया और विकासशील व छोटे द्वीपीय देशों के सामने मौजूद जलवायु संकट के प्रति उदासीनता ने जलवायु न्याय और मानवाधिकारों के प्रश्नों को और गहरा किया है।

मानवाधिकारों की दृष्टि से देखें तो जलवायु परिवर्तन के साथ ही दो और बड़े ख़तरे इस समय दुनिया के सामने हैं। इनमे से एक है दुनिया भर में चल रहे सशस्त्र संघर्ष। सिर्फ इजरायल-फलस्तीन या यूक्रेन-रूस युद्ध की बात नहीं है, पिछले कुछ वर्षों से हर साल पूरी दुनिया में 150 से भी ज्यादा सशस्त्र संघर्ष दर्ज किए जा रहे हैं, जो मानवाधिकारों और उनके रक्षकों के लिए गंभीर ख़तरा बन रहे हैं। ऑफिस फॉर द कोआर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स (OCHA) के अनुसार साल खत्म होने से पहले ही 2024 दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए सबसे घातक साल बन गया है। इस साल दुनियाभर में 281 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मारे जाने का सबसे बड़ा कारण मध्य पूर्व में हिंसा को माना जा रहा है।

मानवाधिकारों के लिए दूसरा ख़तरा जो उभरा है वह है तकनीक। इंटरनेट के जाल और तकनीक के विकास ने जहां सूचना, प्रसारण और कई अन्य क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाई हैं वहीं आम आदमी के लिए संकट भी खड़ा किया है। मानवाधिकारों का हनन करते साइबर अपराधों में वृद्धि हर दिन अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस साल 'महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अन्तरराष्ट्रीय दिवस' की 25वीं वर्षगाँठ मनाई जा रही है, विश्व नेता और लैंगिक पैरोकार कह रहे हैं कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक वैश्विक संकट के रूप में बरकरार है, तो यह सच ही है क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के पुराने तौर-तरीकों के साथ ही तकनीक के अनियंत्रित उपयोग ने भी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में इजाफा किया है।

पैरवी संवाद के इस अंक में हमने जलवायु वित्त, कॉप29 में प्रगति, साइबर अपराध और मानवाधिकार, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, जातीय भेदभाव से जुड़ी ख़बरों और लेखों को साझा किया है। हमेशा की तरह गतिविधियों के संक्षिप्त समाचार भी हैं। आशा है इस अंक पर अपनी प्रतिक्रिया से आप हमें अवगत कराएंगे।

इस अंक में ...

पृष्ठ 2

विकास के लिए वित्तपोषण; एशिया और प्रशांत क्षेत्र में वास्तविक जलवायु वित्त के बिना एक कल्पना

पृष्ठ 4 कॉप29 में प्रगति का अभाव...

पृष्ठ 7

तकनीकी विकास, साइबर अपराध और मानवाधिकार; चुनौतियों की नयी दुनिया

पृष्ठ 10 'अब कोई बहाना नहीं'; महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का अन्त करने की पुकार

पृष्ठ 11

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तीन महीने के अंदर बदलने होंगे जेल मैनुअल

पृष्ठ 13 पैरवी गतिविधियाँ

पृष्ठ 16 साथियों का कोना: संविधान दिवस

विकास के लिए वित्तपोषण; एशिया और प्रशांत क्षेत्र में वास्तविक जलवायु वित्त के बिना एक कल्पना

✍ *अजय के.झा*

विकास के लिए वित्तपोषण वास्तविक और प्रामाणिक जलवायु वित्त के बिना हासिल नहीं किया जा सकता, जो कि नवीन व अतिरिक्त, समय पर, पारदर्शी, पूर्वानुमानित और विकासशील देशों की जरूरतों पर आधारित हो और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त होता हो व अनुदान जैसी शर्तों पर दिया जाए।

अगस्त 2024 तक दुनिया को लगातार 15 महीनों तक रिकॉर्ड तोड़ने वाले तापमान का सामना करना पड़ा, जो पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में 1.5 डिग्री अधिक तापमान की सीमा से कहीं अधिक था। इसका मतलब यह नहीं है कि हम तापमान में 1.5 डिग्री वृद्धि की सीमा को पहले ही पार कर चुके हैं, लेकिन यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि हम उस सीमा को पार करने में बहुत पीछे नहीं हैं। दुनिया को 2030 तक अपने उत्सर्जन में 43% की कमी लाने और 2050 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचने की जरूरत है। इसके लिए देशों को प्रति वर्ष 7.5% की दर से अपना उत्सर्जन कम करना होगा। विकासशील देशों, जिनमें से कई ने अभी-अभी विकास करना शुरू किया है, को गंभीर रूप से वित्त और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है ताकि उनके नागरिकों के जीवन को जलवायु परिवर्तन की वेदी पर न रखा जाए, जो मुख्य रूप से विकसित और औद्योगिक देशों द्वारा अपने उत्सर्जन को तेजी से कम न करने का परिणाम है। अनुबंद 1 देशों यानी विकसित देशों में उत्सर्जन की जो स्थिति है उसके चलते अभी भी उनका उत्सर्जन 2015 के उत्सर्जन की तुलना में 0.5% बढ़ जाएगा।

सितंबर 2024 में जारी यूएनएफसीसीसी की वित्त पर स्थायी समिति (एससीएफ) की दूसरी आवश्यकता निर्धारण रिपोर्ट में कहा गया है कि विकासशील देशों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लागू करने के लिए 2030 तक 5 से 6.8 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है। यह आकलन केवल 98 देशों द्वारा प्रस्तुत एनडीसी कार्यान्वयन की वित्तीय आवश्यकता पर आधारित था, जो अपने एनडीसी की लागत वहन करने में सक्षम थे। छोटे देशों के पास एनडीसी को लागू करने में अपने खर्च का अनुमान लगाने की क्षमता नहीं है। और इन एससीएफ अनुमानों में हानि और क्षति के कारण लगने वाली आर्थिक लागत शामिल नहीं है।

स्पष्ट रूप से, दूसरी आवश्यकता निर्धारण रिपोर्ट (एनडीआर2) के आंकड़े विकासशील देशों की जरूरतों को बहुत कम आंकते हैं। हाल ही में बाकू में हुए कॉप29 में जलवायु वित्त चर्चा के केंद्र में था।

काफी मनमुटाव के बाद, विकसित देश 2035 तक सार्वजनिक, निजी, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहित सभी स्रोतों से जलवायु वित्त में 300 बिलियन डॉलर जुटाने पर सहमत हुए। इस समझौते को 'एक डूबते बैंक का पोस्टडेटेड चेक' कहा जा सकता है। विकासशील देशों को कम कार्बन विकास पथ पर आगे बढ़ने में सहायता करने के लिए विकसित देशों से आने वाले अनुदान आधारित सार्वजनिक वित्त में एक ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष प्राप्त करने की उम्मीद थी, जिसमें नए और अतिरिक्त अनुदान के रूप में कम से कम 500 बिलियन डॉलर की उम्मीद भी शामिल थी, जो कि नहीं होना था। 'ट्रम्प फैक्टर' के अत्यधिक दबाव में विकासशील देशों ने जलवायु वित्त में अपमानजनक राशि पर सहमति व्यक्त की। इस अनुमान के साथ कि जब ट्रम्प अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएनएफसीसीसी से हट जाएगा, उन्होंने उससे सहमत होना अच्छा समझा जिस पर कि अभी के लिए सहमति संभव हो सकती है।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) का दावा है कि उसने 2022 में 100 बिलियन डॉलर की प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्होंने 2022 में जलवायु वित्त में 115.7 बिलियन डॉलर प्रदान किए। हालांकि, ऑक्सफैम का दावा है कि जलवायु वित्त की स्पष्ट परिभाषा के अभाव में वितरित किया गया वास्तविक जलवायु वित्त 35 बिलियन डॉलर से भी कम था। आमतौर पर जलवायु वित्त का 20% से कम अनुकूलन के लिए जाता है, 10% से कम न्यून आय वाले देशों को जाता है, और 3% से कम छोटे द्वीपीय विकासशील देशों को जाता है।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु वित्त

यह क्षेत्र वैश्विक आबादी के 60% लोगों का घर है, वैश्विक विकास में 70% योगदान देता है और कुल वैश्विक ऋण का 25% इसके हिस्से में है। इस क्षेत्र की जीवाश्म ईंधन पर भारी निर्भरता है। वैश्विक कोयला उत्पादन का 75% और वैश्विक कोयला पाइपलाइन का 94% अकेले इस क्षेत्र से आता है। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र का वैश्विक उत्सर्जन में 58% योगदान है। यह तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि जलवायु संकट के लगातार बढ़ते प्रभावों को अनुकूलित करने के लिए उचित वित्तीय सहायता के अलावा ऊर्जा परिवर्तन के लिए उचित समर्थन न हो। इस क्षेत्र को वैश्विक जलवायु वित्त का केवल एक-चौथाई हिस्सा ही प्राप्त होता है। एडीबी का अनुमान है कि इस क्षेत्र को प्रति वर्ष 800 बिलियन डॉलर वित्तपोषण अंतराल का सामना करना पड़ता है (एशिया और प्रशांत में जलवायु वित्त परिदृश्य, नवंबर, 2023)। इस क्षेत्र में लगभग बेहद विषम जलवायु वित्त भी देखा जाता है जिसमें लगभग 80% केवल पूर्वी एशिया को जाता है, जो कि जलवायु वित्त का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता होने के साथ-साथ जलवायु खर्च का सबसे बड़ा प्रदाता भी है। दक्षिण एशिया 9% के साथ दूसरे स्थान पर है, दक्षिण पूर्व एशिया 5%, मध्य और पश्चिम एशिया 2% और प्रशांत क्षेत्र मात्र 0.3% जलवायु वित्त प्राप्त करता है। इस क्षेत्र में जलवायु वित्त का 70% से अधिक ऋण सृजन उपकरणों के रूप में आता है, प्रशांत एकमात्र अपवाद है जो अनुदान के रूप में अधिक प्राप्त करता है। इस वित्त का 91% तक शमन में चला जाता है। अनुकूलन, जो विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.1% है। प्रशांत एकमात्र उपक्षेत्र है जो बाकी उपक्षेत्रों की तुलना में अनुकूलन पर अधिक खर्च करने में सक्षम है।

समुदायों तक जलवायु वित्त की सीधी पहुंच

वास्तव में, जलवायु वित्त के सीधे समुदायों तक जाने का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि समुदायों को जलवायु वित्त की सीधी पहुंच प्रदान करना प्राथमिकता नहीं है। ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) जिसके पास एन्हांस्ड डायरेक्ट एक्सेस (ईडीए) नामक फंडिंग उपकरण है, जो कि स्थानीय परियोजनाओं और स्थानीय लोगों के लिए सीधी पहुंच को सक्षम करने का दावा करता है, एक असंगत नाम है क्योंकि यह स्थानीय कार्रवाई, स्थानीय लोगों और स्थानीय परियोजना को परिभाषित नहीं करता है। हालाँकि जीसीएफ में उपराष्ट्रीय संस्थाओं को तेजी से मान्यता मिल रही है, अब तक केवल सीधी पहुँच वाली संस्थाएँ, डायरेक्ट एक्सेस एंटिटीज (डीएई) ही राष्ट्रीय या क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए इस वित्तपोषण तक पहुँच सकते हैं। इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट (आईआईईडी) का अनुमान (2016) है कि 2002-2016 के दौरान कुल जलवायु वित्त का लगभग 10% स्थानीय नेतृत्व वाली परियोजनाओं में चला गया। हालाँकि यह भी एक अतिश्योक्ति प्रतीत होती है। कुछ किसान संगठनों का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर किसानों को कुल जलवायु वित्त का केवल 0.3% ही मिलता है। स्वदेशी/आदिवासी लोगों के साथ काम करने वाले संगठनों और नेटवर्कों का आरोप है कि ये लोग जो 80% जैव विविधता के संरक्षक हैं, इनकी वैश्विक जलवायु वित्त के केवल 0.3% तक ही पहुँच हैं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि ग्लासगो फॉरेस्ट प्लेज में जंगल और जैव विविधता की रक्षा के लिए 145 देश शामिल हुए थे, जिसमें स्वदेशी लोगों को सीधे 1.7 बिलियन सहित वन निधि में 12 बिलियन का वादा किया गया था। आज तक इसका 7% से भी कम वितरण किया जा सका है। यह जानना और भी दिलचस्प होगा कि कितना जलवायु वित्त सीधे महिलाओं को जाता है!

क्षेत्र में जलवायु वित्त कैसे बढ़ाया जाए

ऐसे कई तरीके हैं जो इस क्षेत्र को सीमित जलवायु वित्त क्षेत्र में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है ऋण रद्द करना। एशिया व प्रशांत क्षेत्र के 17 देशों में ऋण संकट का खतरा अधिक है और वे जलवायु वित्त से मिलने वाले ऋण की तुलना में ऋण सेवा पर कई गुना अधिक खर्च करते हैं। उनकी ऋण सेवा उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के व्यय से 3-4 गुना अधिक है। उन्हें और कर्ज लेने की कोई भूख नहीं है। कर्ज संकट जलवायु संकट का समाधान नहीं हो सकता। अन्य स्पष्ट विकल्पों में आईएफएफ को कम करना, विकसित देशों के जीएनआई के 0.7% की ओडीए सीमा को साकार करना, जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, विकासशील देशों के लिए व्यापार को फायदेमंद बनाना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे

में सुधार करना शामिल है, जिसका लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जिनका नियम बनाने में प्रमुख स्थान है। बढ़े हुए कर दायरे, बेहतर अनुपालन और प्रगतिशील कराधान को सुनिश्चित करने सहित घरेलू संसाधन जुटाने में सुधार पर शायद ही अधिक जोर दिया गया है। महिलाओं के देखभाल कार्य को प्रोत्साहित करने और वेतन में लैंगिक समानता से महिलाओं और उनके परिवारों का जलवायु संकट के प्रति लचीलापन बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

हालाँकि, दो विकल्प तलाशना सार्थक होगा। पहला है उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों (एचएनआई) पर कर लगाना। समाज में बढ़ती असमानता ने कुछ लोगों को बेहद अमीर बना दिया है। अनुमान है कि 2026 तक चीन में 16 मिलियन अरबपति होंगे। जापान में पहले से ही लगभग 3.5 मिलियन एचएनआई हैं। आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में 320,000 एचएनआई हैं। कुछ समय पहले तक एचएनआई पर कर लगाना एक अजीब विचार माना जाता था। विश्व युद्ध में विनाश के बाद देश के पुनर्निर्माण के लिए जर्मनी ने एचएनआई पर कर लगाने की शुरुआत की। स्पेन ने हाल ही में एचएनआई पर 0.5% टैक्स लगाया है। अमेरिका, फ्रांस और कई अन्य देश इस विचार पर विचार कर रहे हैं। चौथे एफएफडी सम्मेलन पेपर में भी यह एक शीर्ष प्रस्ताव के रूप में है। इसके अलावा, मुक्त व्यापार क्षेत्रों और मुक्त बंदरगाहों पर कर लगाना इस समय में हारा-किरी नहीं लगना चाहिए, जिसमें पैसा वहीं होना चाहिए जहां मुंह है। लगभग 5000 विशेष आर्थिक क्षेत्र और मुक्त व्यापार क्षेत्र और बंदरगाह हैं, जो लगभग कर मुक्त हैं। स्वयं आसियान में इनकी संख्या 1000 से अधिक है। चीन और भारत भी पीछे नहीं हैं। इन सेज पर नाममात्र का कर निश्चित रूप से अस्तित्व का संकट झेल रहे विकासशील देशों की मदद कर सकता है।

अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास के लिए वित्तपोषण वास्तविक और प्रामाणिक जलवायु वित्त के बिना हासिल नहीं किया जा सकता, जो कि नवीन व अतिरिक्त, समय पर, पारदर्शी, पूर्वानुमानित और विकासशील देशों की जरूरतों पर आधारित हो और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त होता हो व अनुदान जैसी शर्तों पर दिया जाए। इसमें विकासशील देशों के लिए चरम जलवायु घटनाओं की बढ़ती लागत को ध्यान में रखना चाहिए और कमजोर व हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सरलीकृत सीधी पहुंच हेतु एक अनुपात आवंटित करना चाहिए।

■■

कॉप29 में प्रगति का अभाव अधिकारों को खतरे में डालता है

✍ मायर्टो तिलियानाकी,

साभारः ह्यूमन राइट्स वाच

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप29), जो पिछले सप्ताहांत संपन्न हुआ, वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए पर्याप्त प्रगति करने में विफल रहा। कॉप29 एक वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य के साथ समाप्त हुआ, जिसे विकासशील देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम बनाने के लिए अपर्याप्त बताया।

सम्मेलन के अंतिम पाठों में से एक में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की आवश्यकता का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, जैसा कि पिछले साल कॉप28 के प्रमुख परिणाम दस्तावेज में सहमति व्यक्त की गई थी। कॉप29 में इस महत्वपूर्ण विषय पर कोई और प्रगति नहीं हुई।

फ्रंटलाइन समुदायों ने लंबे समय से जीवाश्म ईंधन उत्पादन के प्रभावों का खामियाजा भुगता है और सभी जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना एक अनिवार्यता है। मेजबान अजरबैजान के राष्ट्रपति, इल्हाम अलीयेव ने सम्मेलन में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी के दौरान कहा कि जीवाश्म ईंधन 'भगवान का उपहार' था, यह सुझाव देते हुए कि जीवाश्म ईंधन से समृद्ध देश उत्पादन का विस्तार करने के हकदार हैं।

कॉप29 ने नए कार्बन बाजार नियमों को भी अपनाया, जिसका उद्देश्य देशों को कार्बन ऑफसेटिंग परियोजनाओं के माध्यम से अपनी पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अनुमति देना है। लेकिन यह निर्णय ऐसी परियोजनाओं के लंबे इतिहास को नजरअंदाज करता है, जिन्होंने ग्रामीण समुदायों के भूमि अधिकारों का उल्लंघन किया है और उनके जलवायु लाभों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया है।

असहमति पर अजरबैजान की कार्रवाई ने कॉप29 के दौरान नागरिक समाज की सार्थक भागीदारी को सीमित कर दिया। सम्मेलन की अगुवाई में, अधिकारियों ने दर्जनों पत्रकारों, मानवाधिकार रक्षकों और अन्य सरकारी आलोचकों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया। जलवायु कार्यकर्ता आधिकारिक सम्मेलन स्थल के बाहर मार्च करने में असमर्थ थे, क्योंकि अजरबैजान में विरोध प्रदर्शन प्रतिबंधित हैं, इसके बजाय उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित 'ब्लू जोन' के भीतर एक सम्मेलन कक्ष के अंदर इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। कुछ प्रतिभागियों, जिनसे मैंने बात की, जिनमें मानवाधिकार रक्षक, कार्यकर्ता और पत्रकार शामिल थे, ने स्वीकार किया कि उन्होंने खुद को सेंसर कर लिया है और प्रतिशोध के डर से सार्वजनिक रूप से अजरबैजानी सरकार की आलोचना करने से बचते हैं। ऐसे प्रतिबंध अस्वीकार्य हैं। जलवायु वार्ता में सार्थक नागरिक समाज की भागीदारी और बुनियादी अधिकारों व स्वतंत्रता के सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वे जलवायु संकट से निपटने के लिए उचित और महत्वाकांक्षी सरकारी कार्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

सरकारों को 2025 तक राष्ट्रीय उत्सर्जन कटौती लक्ष्य प्रस्तुत करके जलवायु संकट का सामना करने के प्रयासों को तत्काल तेज करना चाहिए जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप हों। उन्हें एक स्पष्ट समयसीमा के भीतर कोयला, तेल और गैस से दूर जाने के लिए ठोस योजनाएँ भी देनी चाहिए।

■■

वास्तविक जलवायु समाधान में सार्वजनिक वित्त का निवेश

कॉप 29 साइड इवेंट 15 नवंबर, साइड इवेंट कक्ष संख्या 6, बाकू

पैरवी ने कई अन्य संगठनों, जैसे CECOEDECON, ग्लोबल फॉरेस्ट कोएलिशन, Latindad, फ्रेंड्स ऑफ साइबेरियन फॉरेस्ट्स, Ibon Foundation आदि के साथ मिलकर इस साइड इवेंट का आयोजन किया। अजय झा ने CECOEDECON और पैरवी की ओर से बात की। उनकी प्रस्तुति का संक्षिप्त हिन्दी अनुवाद यहां प्रस्तुत है -

पहले हफ्ते में ही कॉप29 के 'फाइनेंस कॉप' होने के मिथक का खंडन हो चुका है। हम में से कई लोग इसे झूठे समाधान वाला कॉप कह रहे हैं। हमारे लिए वित्त एक बार का गुप्त लेन-देन नहीं है। यह वास्तव में पर्यावरणीय ऋण है जो विकसित और औद्योगिक देशों ने विकासशील देशों के संसाधनों का उपयोग करके खुद को समृद्ध बना लिया है। जलवायु वित्त को मूलभूत रूप से उन संरचनात्मक मुद्दों और प्रक्रियाओं को संबोधित करना चाहिए, जो सदियों से अन्याय का कारण बने हैं। हम 2009 से वित्त की मांग कर रहे हैं और हमें केवल आश्वासन मिले हैं।

कौन सोचता है कि विकसित देश 'नए, अतिरिक्त, अनुदान आधारित सार्वजनिक वित्त' देने के लिए तैयार हैं? विकसित देशों की मंशा को आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि 2021 में SCF की स्थापना से पहले जलवायु वित्त का कोई व्यवस्थित लेखा-जोखा और निगरानी नहीं थी। इसके एक साल बाद जब विकसित देशों को 100 बिलियन डॉलर लक्ष्य प्राप्त करना था, OECD रिपोर्ट केवल एक आत्म प्रमाणन है। OECD का दावा है कि 2022 में 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन वास्तविक वित्त 2022 में भी दावे का एक तिहाई से कम है। उनके लिए जलवायु संकट एक व्यावसायिक उद्यम है और जलवायु वित्त उनके साम्राज्यवादी नीतियों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण है, और यही कारण है कि 70% से अधिक जलवायु वित्त बाजार आधारित लाभकारी ऋण के रूप में दिया जा रहा है।

अब भी जब सभी 1 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष की मांग कर रहे हैं, अमेरिका 100 बिलियन डॉलर के आधार पर जोर दे रहा है। यूरोपियन यूनियन कहता है 2.4 बिलियन लेकिन इसमें से 'कोर', विकसित देशों से विकासशील देशों के लिए वास्तविक सार्वजनिक वित्त केवल 150-200 बिलियन डॉलर है। यूरोपियन यूनियन यह भी कहता है कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर विकासशील देशों के घरेलू संसाधनों से आएगा। विकसित देशों का कहना है कि 1 ट्रिलियन डॉलर एक बड़ी राशि है जो केवल सार्वजनिक संसाधनों से नहीं आ सकती। वे यह भूल रहे हैं कि उन्होंने कोविड के दौरान एक साल से भी कम समय में 18 ट्रिलियन डॉलर का राजकोषीय प्रोत्साहन बढ़ाया था। जब गरीब देशों के लोगों के जीवन की बात आती है तो यह राशि उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाती है।

विकसित देशों की जलवायु संकट के प्रति प्रतिक्रिया अब तक पूरी तरह से साम्राज्यवादी रही है। उन्होंने छोटे देशों के लिए ऋण जाल

बिछाया है। 55 सबसे अधिक ऋणी देश भी सबसे कमजोर हैं और वे एक दशक पहले की तुलना में ऋण सेवा में 4 गुना अधिक भुगतान कर रहे हैं। वास्तव में, उनमें से कई अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाओं और जलवायु उपायों पर खर्च की तुलना में ऋण सेवा में कई गुना अधिक भुगतान कर रहे हैं।

तो वे कौन से वास्तविक समाधान हैं जिन्हें हमें सार्वजनिक वित्त के माध्यम से तुरंत संबोधित करना चाहिए।

पहला और सबसे महत्वपूर्ण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में गहन और निरंतर उत्सर्जन कटौती है। यहां तक कि उन 11 देशों के लिए जिन्होंने विकास से उत्सर्जन (और ऊर्जा) के पूर्ण विच्छेदन का दावा किया है, उनका विच्छेदन इतना धीमा है कि यदि कोई इक्विटी और न्याय के आयामों को जोड़ता है, तो उन्हें 95% उत्सर्जन में कमी (जो हमें 2050 तक प्राप्त करना है) प्राप्त करने में 200 से अधिक वर्ष लगेंगे और इस दौरान वे 2020 के बाद के वैश्विक कार्बन बजट का 27 गुना अधिक जला देंगे।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की शमन में विफलता ने हमारे हिस्से की दुनिया में मौत और विनाश का कारण बना दिया है। चरम जलवायु घटनाओं के कारण होने वाली 70% से अधिक अतिरिक्त मौतों और 80% से अधिक आर्थिक नुकसानों का भार वैश्विक दक्षिण उठाता है। विकसित देशों द्वारा लॉस एण्ड डैमज के लिए दिया गया अपर्याप्त फण्ड शर्मनाक है। 90% LDCs और SIDS की लॉस एण्ड डैमेज का आकलन करने की क्षमता नहीं है, जिसके कारण नुकसान और क्षति को संबोधित करने की वास्तविक लागत अनुमान से कहीं अधिक है।

किसी भी सबसे कमजोर देश के लिए ऋण माफी के बिना जलवायु संकट से उबरने की सभी प्रक्रियाएं व्यर्थ होंगी। दुनिया में अब और ऋण की भूख नहीं है। जब तक सबसे गरीब देशों को अत्यधिक ऋण सेवा से मुक्त नहीं किया जाता, उनके पास लचीलापन बढ़ाने और

55 सबसे अधिक ऋणी देश एक दशक पहले की तुलना में ऋण सेवा में 4 गुना अधिक भुगतान कर रहे हैं। कसी भी सबसे कमजोर देश के लिए ऋण माफी के बिना जलवायु संकट से उबरने की सभी प्रक्रियाएं व्यर्थ होंगी।

निम्न-कार्बन विकास मार्गों को अपनाने की क्षमता नहीं है।

औद्योगिक देशों की मंशा वास्तविक समाधानों को भी झूठा बना रही है। उदाहरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को लें। नवीकरणीय ऊर्जा कोई समाधान नहीं है जब तक कि औद्योगिक देशों में ऊर्जा का उपयोग कम नहीं किया जाता। ग्रह-स्तरीय नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयास करना जीवाश्म ईंधन प्लस प्लस होगा। यह अत्यधिक संसाधन-गहन प्रक्रिया होगी क्योंकि एक साधारण 2 मेगावाट पवनचक्की को 1000 टन से अधिक स्टील, तांबा, एल्यूमीनियम और कंक्रीट की आवश्यकता होती है, दुर्लभ पृथ्वी खनिजों को तो छोड़ ही दें।

इसलिए, हम जोर देंगे कि विकसित देश विकासशील देशों को प्रतिपूर्ति का भुगतान करें क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से जानते हुए भी कि उनके जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से पूरी मानवता को विनाश होगा, कोई कार्रवाई नहीं की । प्रतिपूर्ति मांगने वाले कई संगठन केवल मुआवजे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि, अन्य तत्वों में पुनरोद्धार, पुनर्स्थापन और संतुष्टि शामिल हैं, जिनमें से पुनर्स्थापन अब संभव नहीं है। प्रतिपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व 'पुनरावृत्ति न होने की गारंटी' है। हम इस महत्वपूर्ण तत्व की पहचान के करीब भी नहीं हैं और जलवायु अन्याय व कार्बन उपनिवेशवाद बेरोकटोक जारी है।

■■

साइबर अपराध, जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए नए खतरे: राष्ट्रपति मुर्मू

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली, 10 दिसंबर 2024

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि मानवाधिकारों पर अब तक की चर्चा 'मानव एजेंसी' पर केंद्रित रही है, क्योंकि उल्लंघनकर्ता को मानव माना जाता है, लेकिन एआई के हमारे जीवन में प्रवेश करने के साथ अपराधी कोई 'गैर-मानव' लेकिन एक बुद्धिमान एजेंट हो सकता है।

मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एनएचआरसी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने यह भी रेखांकित किया कि साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए 'नए खतरे' हैं।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, 'जैसे-जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए नए खतरे हैं।' उन्होंने कहा कि डिजिटल युग परिवर्तनकारी होने के साथ-साथ अपने साथ साइबर बदमाशी, डीप फेक, गोपनीयता संबंधी चिंताएं और गलत सूचना के प्रसार जैसे जटिल मुद्दे भी लेकर आया है। ये चुनौतियाँ एक सुरक्षित, संरक्षित और न्यायसंगत डिजिटल वातावरण को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करता है।

अपने संबोधन में उन्होंने एआई के पहलू और मानव जीवन पर इसके प्रभाव पर भी प्रकाश डालते हुए कहा, 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब हमारे दैनिक जीवन में प्रवेश कर चुकी है, कई समस्याओं का समाधान कर रही है और कई नई समस्याएं भी पैदा कर रही है।' उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मामला भी हमें वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार संबंधी सोच की समीक्षा करने के लिए मजबूर करता है।

तकनीकी विकास, साइबर अपराध और मानवाधिकार; चुनौतियों की नयी दुनिया

✍ रजनीश साहिल

बात सिर्फ डिजिटल ठगी की ही नहीं है। बैंकिंग, खरीदारी, और संचार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती निर्भरता ने साइबर अपराधियों के लिए कमजोरियों का लाभ उठाने की जो जमीन तैयार की है उससे अन्य तरह के साइबर क्राइम में भी काफी वृद्धि हुई है, जो मौलिक मानवाधिकारों से जुड़ी गंभीर चिंताओं को जन्म देती है।

बीते कुछ दशकों में बाकी दुनिया के साथ ही भारत में भी तकनीकी प्रगति बड़ी ही तेजी से हुई है। यह प्रगति कई क्षेत्रों में हुई है और सुविधाएं भी बढ़ी हैं, मसलन स्वास्थ्य, बैंकिंग, संचार, ई-गवर्नेंस आदि। व्यापक इंटरनेट अपनाने, डिजिटल भुगतान और ई-गवर्नेंस पहल के कारण भारत ने पिछले एक दशक में तेजी से डिजिटल परिवर्तन देखा है। इस प्रगति, खासकर जिसमें इंटरनेट का दखल है, ने हमें एक नया शब्द भी दिया - आभासी दुनिया या डिजिटल वर्ल्ड, और इसी प्रगति ने आभासी दुनिया को हकीकत में बदल दिया है। अब हम रोजमर्रा में काफी वक्त इस डिजिटल दुनिया में गुजारते हैं। जिस भी हाथ में स्मार्टफोन है वह रोज कुछ समय के लिए डिजिटल दुनिया की सोहबत में है। चाहे वह यूपीआई से पैसों का लेन-देन या अन्य बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल करना हो, चाहे रेल या हवाई जहाज का टिकट बुक करना हो, चाहे टैक्सी बुक करनी हो, चाहे 10 मिनट में राशन या 20 मिनट में पिज्जा मांगना हो, चाहे सोशल मीडिया पर अपने विचार जाहिर करना हो या दोस्तों से गपशप करनी हो, या फिर कहीं किसी दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में अपना आधार वेरीफिकेशन ही करना हो, किसी न किसी वजह से डिजिटल दुनिया में हर कोई मौजूद है। जाहिर है कि जब आभासी दुनिया हमारे जीवन की हकीकत बन चुकी है तो उसके खतरे भी अब आभासी नहीं रहे, वे भी हकीकत बन चुके हैं।

सुविधा और कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ-साथ साइबर क्राइम में भी तेजी आई है। यह तेजी किस हद तक है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक जहाँ 2022 में साइबर क्राइम के 65893 केस दर्ज हुए थे, वहीं I4C के मुताबिक 2024 के पहले चार महीनों में ही 740957 केस रिपोर्ट हुए। जनवरी 2024 से अब तक लोगों से लगभग 19 हजार करोड़ रुपये ठगे जा चुके हैं। डिजिटल ठगी में यह वृद्धि चिंताजनक है।

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत में साइबर अपराध में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

इन अपराधों में सबसे अधिक संख्या फिशिंग, पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर जासूसी और ब्लैकमेलिंग की है। जिस तेजी से तकनीक परिष्कृत हुई है उसी तेजी से साइबर क्राइम, खासकर डिजिटल धोखाधड़ी भी परिष्कृत हो गई है, जो व्यक्तियों, व्यवसायों और यहां तक कि सरकारी संस्थाओं को भी निशाना बना रही है। वर्तमान में चल रहे उस स्कैम से सभी वाकिफ हैं जिसमें कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी बनकर फोन करता है और कहता है कि आपका बच्चा फलां-फलां वजह से पुलिस की गिरफ्त में है, आपके रोते हुए बच्चे से आपकी बात भी कराता है, फिर केस रफा-दफा करने की भूमिका बनाता है और उसके लिए पैसे ऐंठता है। वह पुलिस वाला, कथित केस, बच्चा सब नकली है, पर अब तक न जाने कितने माँ-बाप इस स्कैम के चलते अपना असली पैसा लुटा चुके हैं। इसी तरह कूरियर में ड्रग्स, ईडी की जांच, अकाउंट में गलती से पैसा डालना, और न जाने कितने ही तरह के स्कैम चल रहे हैं जिनमें हर मिनट में भारतीय लोग एक से डेढ़ लाख रुपये गंवा रहे हैं।

सिर्फ अपराध नहीं, मानवाधिकारों का उल्लंघन भी

अगर हम इन अपराधों को केवल वित्तीय अपराध ही समझते हैं तो यह एक चूक होगी। डिजिटल धोखाधड़ी न केवल वित्तीय अपराध है बल्कि मौलिक मानवाधिकारों पर हमला भी है। और बात सिर्फ डिजिटल ठगी की ही नहीं है। बैंकिंग, खरीदारी, और संचार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती निर्भरता ने साइबर अपराधियों के लिए कमजोरियों का लाभ उठाने की जो जमीन तैयार की है उससे अन्य तरह के साइबर क्राइम में भी काफी वृद्धि हुई है, जो मौलिक मानवाधिकारों से जुड़ी गंभीर चिंताओं को जन्म देती है।

डिजिटल अपराधों में अक्सर लोगों की व्यक्तिगत जानकारी तक अपराधियों की अनधिकृत पहुँच शामिल होती है। साइबर अपराधी लोगों की व्यक्तिगत जानकारियों का दुरुपयोग करके अपराधों को अंजाम देते हैं। जब अपराधी किसी का व्यक्तिगत डेटा चुराते हैं तो वे उस व्यक्ति की स्वायत्तता पर आक्रमण करते हैं और अपनी ही निजी जानकारी पर लोगों के नियंत्रण को प्रभावित करते हैं, जो कि लोगों के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ ही यह सुरक्षा के अधिकार के लिए भी चुनौती है। व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो जाने पर उसका उपयोग किसी भी तरह से किया जा सकता है, मसलन अनधिकृत डिजिटल बैंक खाते खोलना, लोन लेना, सोशल मीडिया पर डुप्लीकेट अकाउंट बनाना, जानकारी का आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल करना या अन्य किस्म की धोखाधड़ी करना आदि। यानी इससे लोगों को अपनी संवेदनशील जानकारी के ऐसे दुरुपयोग का खतरा बढ़ता है जिससे आर्थिक, भावनात्मक या गरिमा के स्तर पर नुकसान हो सकता है। यह सुरक्षा और संरक्षा के अधिकार को कमजोर करना है।

डिजिटल धोखाधड़ी के कारण लोगों की मेहनत की कमाई जिस तरह से निशाने पर है वह स्पष्ट रूप से उनके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है।

साइबर अपराधों के चलते व्यक्ति के निजता, सुरक्षा, न्याय, सूचना, निर्णय जैसे मौलिक मानवाधिकार खतरे में हैं। अधिकारों का यह उल्लंघन डिजिटल प्लेटफार्म पर लोगों के विश्वास को कम करता है, जिससे विश्वसनीय जानकारी तक पहुँच का अधिकार भी प्रभावित होता है।

अधिकारों का उल्लंघन होने पर लोग कानून की शरण में जाते हैं ताकि न्याय मिले। पर साइबर अपराध न्याय के अधिकार को भी कमजोर कर रहे हैं। साइबर अपराध के पीड़ितों को न्याय पाने में अक्सर ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह चुनौतियाँ तकनीकी भी हैं और कानूनी भी। साइबर अपराध की जांच की जटिलताएं और समुचित कानूनी ढांचे की कमी अपराधियों को जवाबदेह ठहराने और न्याय पाने में बाधा बनती हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के 2012 से 2023 तक के साइबर क्राइम से जुड़े आँकड़े देखें तो भारत में साइबर क्राइम के मामलों की औसत निष्पादन दर 20 प्रतिशत से भी कम है। यानी साइबर अपराध दर्ज कराने वाले लगभग 80 प्रतिशत लोगों को किसी न किसी वजह से न्याय नहीं मिल पाता।

एक तरफ भारत में लगभग हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, 'डिजिटल इण्डिया' की बात की जा रही है, वहीं निजता के अधिकार, सुरक्षा के अधिकार, संपत्ति के अधिकार और न्याय के अधिकार का यह उल्लंघन डिजिटल प्लेटफार्म पर लोगों के विश्वास को कम करता है, जिससे विश्वसनीय जानकारी तक पहुँच का अधिकार प्रभावित होता है। और जब लोगों के दिमाग में यह उधेड़बुन चलती है कि प्राप्त जानकारी या सूचना सही है या नहीं तो इससे उनका निर्णय लेने का अधिकार भी प्रभावित होता है। इस प्रकार हम देखें तो साइबर अपराधों के चलते व्यक्ति के निजता, सुरक्षा, न्याय, सूचना, निर्णय जैसे मौलिक मानवाधिकार खतरे में हैं।

तकनीक के अनियंत्रित उपयोग ने महिलाओं और बच्चों की गरिमा के लिए भी गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के आँकड़े दर्शाते हैं कि साइबर अपराधों में एक बड़ा प्रतिशत (2023 में 5.2 प्रतिशत) ऑनलाइन यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के मामलों का है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक हर साल दर्ज होने वाले साइबर अपराधों में ऑनलाइन सेक्शुअल एक्स्प्लॉइटेशन एण्ड अब्यूज के मामलों में निरंतर बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है। इंटरनेट और तकनीक के बढ़ते उपयोग ने अपराधियों के लिए लोगों को टारगेट करना और उन्हें उत्पीड़ित करना आसान बना दिया है, खासकर महिलाओं और बच्चों को।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वास्तविक खतरा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसे और गंभीर बना दिया है। साइबर अपराधों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका और

उपयोग पर बहुत लंबी बात हो सकती है, मसलन ऑटोमेटेड फिशिंग, मैलवेयर डेवलपमेंट एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्रेडेंशियल स्टफिंग, ब्रूट फोर्स अटैक, डेटा माइनिंग आदि पर। लेकिन फिलहाल के लिए एक उदाहरण काफी होगा।

बीते महीनों में दक्षिण की एक अभिनेत्री के फेक वीडियो की खबर सुर्खियों में रही थी जिस पर सभी ने चिंता जताई थी और जिसके बाद प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि डीपफेक का बढ़ता चलन चिंताजनक है और यह आम लोगों के लिए समस्या खड़ी कर सकता है।

असल में समस्या खड़ी हो भी चुकी है। ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं जहाँ सिर्फ एक स्मार्टफोन और मुफ्त उपलब्ध एप का उपयोग करके किसी ने महिलाओं के फेक फोटो या वीडियो तैयार किये और उन्हें ब्लैकमेल किया या इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। इसका एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि ऐसा करने वाले अपराधियों में कम उम्र के युवा भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो पाबंदी के बावजूद कोविड महामारी के बाद भारत में ऑनलाइन पोर्नोग्राफी देखने वालों और उसका कंटेन्ट तैयार करने वालों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। इस कंटेन्ट में डीपफेक वीडियोज की संख्या भी काफी है, जिसमें सेलिब्रिटीज के अलावा अनजान भारतीय महिलाओं के वीडियोज भी हैं।

सवाल यह उठता है कि जिस तकनीक के दुरुपयोग पर स्वयं प्रधानमंत्री चिंता व्यक्त कर चुके हैं, दुनिया भर की कई जानी-मानी हस्तियाँ अपनी व्यथा जाहिर कर चुकी हैं, और जो महिलाओं की गरिमा, उनके गौरवपूर्ण जीवन के अधिकार के हनन का माध्यम बन रही है, वह क्यों इतनी आसानी से हर किसी की पहुँच में है, बिना किसी नियंत्रण के? सवाल यह भी उठता है कि आखिर इस डीपफेक तकनीक की आवश्यकता क्यों है? और अगर है भी तो क्या हर किसी को है? तकनीक के ऐसे अनियंत्रित इस्तेमाल के लिए हमें कुछ तो प्रभावी नियामक ढांचा बनाना होगा। जिस तेजी से एआई का विकास और साइबर अपराध में इसका उपयोग हो रहा है यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कानूनी और नियामक ढांचा तकनीकी प्रगति के अनुरूप बना रहे।

नाकाफी सुरक्षा, सामूहिक प्रयास की जरूरत

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक 2023 में भारत में प्रति एक लाख आबादी पर 129 साइबर अपराध हुए हैं। ग्लोबल साइबर क्राइम पर जारी रिपोर्टों के मुताबिक 2023 में साइबर अटैक के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा, भारत में लगभग 79000000 साइबर अटैक हुए। हालांकि साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे को पहचानते हुए भारत सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कई उपाय किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और इसके बाद के संशोधन साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। साइबर अपराध सेल की स्थापना और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल जैसी पहल की शुरूआत सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। हाल ही में दूरसंचार साइबर सुरक्षा के नए नियमों की अधिसूचना, जिसमें दूरसंचार के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को हर हाल में एक चीफ

आखिर इस डीपफेक तकनीक की आवश्यकता क्यों है? हमें किस तरह के तकनीकी विकास की जरूरत है? वह तकनीकी विकास किस कीमत पर हो? इस तरह की तकनीक से हमारे-आपके जीवनस्तर में क्या फायदा हो रहा है?

टेलीकम्यूनिकेशन सिक्युरिटी अफसर रखने, हर एक साइबर अपराध की जानकारी छः घंटे के अंदर केंद्र सरकार को देने, साइबर तंत्र की खामियों को निरंतर दूर करते हुए और चौकस करने के लिए कहा गया है, भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

बावजूद इन पहलों के, प्रभावी कार्यान्वयन और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के मामले में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के मुताबिक जनवरी 2022 तक पूरे भारत में 262 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन थे, जो जनवरी 2023 में बढ़कर 323 हुए। जनवरी 2023 तक पूरे भारत में 715 साइबर सेल थे। इस हिसाब से देखा जाए तो साइबर अपराधों से निपटने के लिए हमारी कानूनी अधोसंरचना में जो प्रगति है, वह फिलहाल नाकाफी है। साइबर सुरक्षा के तकनीकी उपायों को मजबूत करने के साथ ही डिजिटल साक्षरता में सुधार करना, उसे बढ़ाना और कानून प्रवर्तन व नियामक एजेंसियों को सशक्त बनाना भी समय की जरूरत है।

इसके साथ ही यह भी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हमें किस तरह के तकनीकी विकास की जरूरत है? और वह तकनीकी विकास किस कीमत पर हो? क्या हमें सार्वजनिक जीवन में किसी की भी आवाज की हू-ब-हू नकल कर लेने वाली, किसी के भी धड़ पर किसी का भी चेहरा फिट कर देने वाली, आपके बरअक्स आपका ही प्रतिरूप खड़ा कर देने वाली तकनीक की आवश्यकता है? बेरोज़गारी में सड़कों पर भटकते युवाओं की भीड़ में क्या हमें उस तकनीक की आवश्यकता है जो मनुष्य की बुद्धिमत्ता और श्रम को अनदेखा करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उसकी कुशलता को उच्चतम पायदान पर स्थापित करे? और सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह की तकनीक से हमारे-आपके जीवनस्तर में क्या फायदा हो रहा है?

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तकनीकी विकास के साथ-साथ चुनौतियों की एक नयी दुनिया भी विकसित हुई है जो निरंतर फल-फूल रही है। इस दुनिया में डिजिटल धोखाधड़ियों व अन्य साइबर अपराधों के बढ़ते जा रहे जाल को काटने के लिए तकनीकी सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने, संवेदनशीलता के आधार पर तकनीक को नियंत्रित करने, जागरूकता बढ़ाने व सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने और कानूनी व्यवस्था को सशक्त करने की बेहद जरूरत है। इसके लिए सरकार, निजी क्षेत्र और लोगों के सामूहिक प्रयास की जरूरत है। तभी इस डिजिटल युग में मानवाधिकारों की सुरक्षा और एक सुरक्षित व भरोसेमंद डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र को सुनिश्चित किया जा सकता है।

‘अब कोई बहाना नहीं’
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का अन्त करने की पुकार

इस वर्ष ‘महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अन्तरराष्ट्रीय दिवस’ की 25वीं वर्षगाँठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर 25 नवंबर को विश्व नेताओं और लैंगिक पैरोकारों ने यूएन मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया जिसमें एक कटु वास्तविकता पर ध्यान केन्द्रित किया गया- महिलाओं व लड़कियों के विरुद्ध हिंसा एक वैश्विक संकट के रूप में बरकरार है।

‘कोई बहाना नहीं’ की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में लिंग-आधारित हिंसा पर विराम लगाने के लिए पुकार लगाई गई। इस दिशा में प्रगति की दरकार है और इसके लिए तत्काल कदम उठाए जाने होंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने इस दिवस पर अपने सन्देश में मौजूदा चिन्ताजनक आँकड़ों पर क्षोभ व्यक्त किया, ‘हर दिन, 140 महिलाओं व लड़कियों को उनके ही परिवार के सदस्य जान से मार देते हैं। हमें कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई अभी खत्म होने से बहुत दूर है।’

यूएन महासभा के अध्यक्ष फिलेमॉन यैंग ने ध्यान दिलाया कि इस अन्तरराष्ट्रीय दिवस का उपयोग सर्वोत्तम तौर-तरीकों का आदान-प्रदान करने, गम्भीर खामियों की शिनाख्त करने और महिलाओं व लड़कियों के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए हमारे संकल्प को मजबूती प्रदान करने में करना होगा।

चुनौतियों के बावजूद प्रगति

पिछले कुछ वर्षों में, लिंग-आधारित हिंसा पर लगाम लगाने के लिए ठोस प्रगति दर्ज की गई है। योरोपीय संघ की साझेदारी में ‘यूएन-स्पॉटलाइट’ पहल ने दर्शाया है कि प्रगति सम्भव है।

यूएन उप महासचिव आमिना जे. मोहम्मद ने इस कार्यक्रम की उपलब्धियों को साझा किया, ‘इस पहल ने ठोस प्रगति को दर्शाया है, जिसमें करीब 550 कानूनों व नीतियों को पारित करना या उन्हें लागू किया जाना भी है।’

इस पहल के जरिये, 30 लाख महिलाओं को अति-आवश्यक सेवाएँ प्रदान की गई हैं, और 80 लाख युवजन के लिए लैंगिक समानता कार्यक्रमों को लागू किया गया है।

महिला सशक्तिकरण के लिए यूएन संस्था (UN Women) की प्रमुख सीमा बहाउस के अनुसार, इन उपलब्धियों के बावजूद, लैंगिक हिंसा की रोकथाम के लिए अधिक स्तर पर निवेश की आवश्यकता है। ‘हमें किसी भी रूप में वास्तविक प्रगति को नीचा दिखाने से बचना होगा, मगर हमें अपने साथ ईमानदार भी होना होगा कि यह अभी बहुत धीमी है, और राजनैतिक से लेकर टैक्नॉलॉजी तक, उभरती हुई चुनौतियों से ये खतरे में है।’

कार्रवाई की पुकार

कार्यक्रम के दौरान यह दोहराया गया कि लिंग-आधारित हिंसा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लड़कों व पुरुषों को सक्रियता से हिस्सा लेना होगा।

महासभा प्रमुख फिलेमॉन यैंग ने कहा कि इस लड़ाई में वे हमारे साथी हैं और उन्हें विचार करना होगा कि क्या कुछ बेहतर ढंग से किया जा सकता है। साथ ही, उन्हें महिलाओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण रवैयों में बदलाव लाने और हिंसा की रोकथाम के लिए सक्रियता से कदम उठाने होंगे।

आगामी दिनों में ‘बीजिंग घोषणा-पत्र और कार्रवाई के लिए प्लेटफॉर्म’ की 30वीं वर्षगाँठ मनाई जाएगी। उससे पहले आयोजित इस कार्यक्रम में, वैश्विक एकजुटता व जवाबदेही और तीन दशक पहले किए गए वादों को पूरा करने के लिए नए सिरे से संकल्प लिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

साभारः
https://news.un.org/hi/story/2024/11/1081121

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तीन महीने के अंदर बदलने होंगे जेल मैनुअल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

- 11 राज्यों के जेल मैनुअल में जातिगत भेदभाव वाले प्रावधान असंवैधानिक हैं।
- केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर इन्हें बदलना होगा।
- जेल के रजिस्टर में दोषियों और विचाराधीन कैदियों की जाति का उल्लेख नहीं होगा।
- 'आदतन अपराधी' की परिभाषा केवल कानून के अनुसार होगी।
- पुलिस को 'डी-नोटिफाइड ट्राइब्स' को बिना वजह गिरफ्तार नहीं करना होगा।
- 'डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी' और जेल के 'बोर्ड ऑफ विजिटर' को समय-समय पर निरीक्षण करना होगा ताकि भेदभाव न हो।
- केंद्र सरकार को इस आदेश की कॉपी तीन हफ्ते के भीतर सभी राज्यों को भेजनी होगी।

3 अक्टूबर 2024 को पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि तीन महीने के भीतर जेल मैनुअल को अपडेट किया जाए और जातिगत भेदभाव वाले प्रावधानों को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 11 राज्यों के जेल मैनुअल में कई प्रावधान जातिगत भेदभाव करते हैं।

सुकन्या शांता ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि कई राज्यों के जेल मैनुअल जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि जेल के अंदर काम और बैरक का आवंटन जाति के आधार पर होता है। याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा जेल मैनुअल मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया है और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर इन्हें हटाया जाए।

जेल मैनुअल वह दस्तावेज है जिसके अनुसार यह तय होता है कि कैदी जेल में कैसे रहेंगे और क्या काम करेंगे। कई राज्यों में यह नीति थी कि सफाई का काम 'निचली जाति' के माने जाने वाले कैदियों द्वारा किया जाएगा और खाना बनाने का काम 'ऊँची जाति' के माने जाने वाले कैदियों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कुछ जनजातियों को 'आदतन अपराधी' भी माना गया था।

याचिका में, सुकन्या शांता ने तर्क दिया था कि कई जेलों में 'डी-नोटिफाइड ट्राइब्स' के कैदियों से भेदभाव किया जाता है और उन्हें 'आदतन अपराधी' घोषित कर दिया जाता है, भले ही वे पहली बार दोषी ठहराए गए हों। 'आदतन अपराधी' घोषित कैदियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है।

जेलों में भेदभाव के उदाहरण के रूप में, पश्चिम बंगाल के जेल मैनुअल में लिखा है कि सफाई करने वाले 'मेहतर, हाड़ी या चांडाल' जाति के होने चाहिए। अगर कोई 'ऊँची जाति' का कैदी किसी के खाना बनाने से आपत्ति करता है, तो उसके लिए नया बावर्ची रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के जेल मैनुअल में लिखा था कि सफाई का काम 'मेहतर' लोग करेंगे।

इस तरह के प्रावधान 11 राज्यों में थे, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये राज्य हैं- कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए कानून जातिगत भेदभाव करते हैं और आजादी के 75 साल बाद भी हम जात-पात को हटाने में असमर्थ रहे हैं। हमें न्याय और समानता का एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण चाहिए जिसमें सभी नागरिक हिस्सेदार हों।

कोर्ट ने कहा कि कुछ स्थितियों में जाति के आधार पर प्रावधान बनाए जा सकते हैं, जबकि उनका उद्देश्य सुरक्षा हो, लेकिन भेदभाव के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल मैनुअल इस सोच को बढ़ावा देते हैं कि कुछ समुदाय कुशल या सम्मानित काम के योग्य नहीं हैं।

याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे प्रावधान, जिनमें 'ऊँची जाति' का व्यक्ति 'निचली जाति' के व्यक्ति के बनाए खाने को खाने से मना कर सकता है, अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को कानूनी मान्यता देते हैं।

'निचली जाति' के कैदियों से सफाई कराने को सुप्रीम कोर्ट ने जबरन मजदूरी कराने जैसा माना है। कोर्ट ने कहा, 'वंचित जातियों के कैदियों को शौचालय साफ करने या झाड़ू-पोंछा लगाने जैसे काम के लिए मजबूर करना, बिना उनकी पसंद का ध्यान रखे, केवल उनकी जाति के आधार पर, जबरदस्ती को दिखाता है।'

कोर्ट ने एक नया केस भी दर्ज किया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जाति, लिंग और विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव न हो। इसकी सुनवाई तीन महीने बाद होगी।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ा 2024, दुनियाभर में 281 लोगों की हुई मौत

दुनियाभर में युद्ध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। इन युद्धों का असर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर भी देखने को मिल रहा है। ऑफिस फॉर द कोआर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स (OCHA) के अनुसार इस साल दुनियाभर में 281 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की मौत हुई है।

साल 2024 में अब तक अन्य किसी भी साल की तुलना में अधिक सहायता कार्यकर्ता, स्वास्थ्यकर्मी, डिलीवरी कर्मचारी और अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ता मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 22 नवंबर को यह जानकारी दी। ऑफिस फॉर द कोआर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स (OCHA) के अनुसार इस साल दुनियाभर में 281 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मारे जाने का सबसे बड़ा कारण मध्य पूर्व में हिंसा को माना जा रहा है।

OCHA के प्रवक्ता जेन्स लार्के ने कहा, 'साल खत्म होने से पहले ही 2024 दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए सबसे घातक साल बन गया है। साल 2023 की बात करें तो तब 280 कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। साल खत्म होने से पहले ही पिछले साल का मौत का आंकड़ा पार कर गया है।

उन्होंने कहा, 'मानवाधिकार कार्यकर्ता गाजा, सूडान, लेबनान, यूक्रेन आदि स्थानों पर साहस और निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता मानवता की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर रहे हैं, लेकिन बदले में वे बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं।' संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये आंकड़े 'एड वर्कर सिक्योरिटी डेटाबेस' से प्राप्त हुए हैं, जो एक अमेरिका द्वारा चलने वाली परियोजना है, और इसे ब्रिटेन स्थित समूह 'ह्यूमैनिटेरियन आउटकम्स' द्वारा संचालित किया जाता है।

हमास और इजराइल में मारे गए 333 मानवाधिकार कार्यकर्ता

हमास इजराइल युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। डेटा के मुताबिक यह सामने आया कि लगभग 230 सहायता कार्यकर्ता फलस्तीनी कब्जे वाले क्षेत्रों में मारे गए हैं। हिंसा, अपहरण, जख्मी होने, उत्पीड़न व मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने की घटनाएं अफगानिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण सूडान, सूडान, यूक्रेन और यमन समेत अन्य देशों में हुई हैं।

OCHA ने कहा कि इजराइल और उग्रवादी समूह हमास के बीच हालिया संघर्ष के बाद से कुल 333 मानवाधिकार कार्यकर्ता मारे गए हैं। यह संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था जब उग्रवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश नागरिक थे और 250 अन्य लोगों का अपहरण कर लिया गया था।

सैन्य संघर्षों में 72 फीसदी की वृद्धि

जानकारी के मुताबिक पिछले साल 14 सशस्त्र टकरावों में 33 हजार से अधिक लोगों की जान गई है, जो कि 2022 के मुकाबले 72 फीसदी की वृद्धि है। इन चुनौतियों व खतरों के बावजूद, मानवीय सहायता संगठन लोगों तक अति-आवश्यक सेवाएं व सहायता पहुंचा रहे हैं, और पिछले वर्ष 14.4 करोड़ लोगों को मदद मुहैया कराई गई है।

OCHA प्रमुख टॉम फ्लेचर ने जोर देकर कहा कि देशों व युद्धरत पक्षों को मानवीय सहायताकर्मियों की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अन्तरराष्ट्रीय कानून को सर्वोपरि रखना होगा। दोषियों पर मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ानी होगी और दंडमुक्ति के इस युग का अन्त करना होगा।

साभार:
https://www.tv9hindi.com/world/un-human-rights-activist-281-people-died-2024-proved-fatal-2959200.html

पैरवी गतिविधियाँ...

युवा संवाद

13 अगस्त, आईएसआई, दिल्ली

पैरवी ने निर्माण, स्वच्छता और घरेलू देखभाल में असंगठित श्रमिकों के मंच 'शहरी महिला कामगार यूनियन' के साथ एक युवा संवाद का आयोजन किया। इस संवाद में जलवायु परिवर्तन, कारणों और चालकों, प्रभावों, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्यों, यह उनके समुदायों को कैसे प्रभावित करता है और वे जलवायु नीति और कार्रवाई में कैसे अधिक योगदान दे सकते हैं, पर गहन चर्चा में 25 से अधिक युवा शामिल हुए। संवाद में सामुदायिक कार्य योजना विकसित करने पर भी चर्चा हुई और युवाओं ने अपने समुदाय के लिए एक कार्य योजना विकसित करने में गहरी रुचि व्यक्त की।

सीएसओ; चिंताएँ, चुनौतियाँ और संभावनाएँ

27 अगस्त, रांची

बदलते समय और कौशल विकास, स्थिति व नियामक तंत्र की बढ़ती आवश्यकताओं में नागरिक समाज संगठनों की चिंताओं, चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 30 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। झारखंड के पहाड़िया पीवीटीजी समुदाय के नेताओं और बिहार व मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने बीड़ी श्रमिकों व स्थानीय समुदायों के साथ काम करने के अपने अनुभव, उपलब्धियों, चिंताओं और भविष्य की रणनीति को साझा किया। इस कार्यशाला ने वन और आदिवासी अधिकारों, भारत में नई कानूनी व्यवस्था के बारे में उनकी बेहतर समझ भी विकसित की।

समीक्षा एवं योजना बैठक

28 अगस्त, रांची

यह समीक्षा और योजना बैठक राज्यों के साझेदारों के साथ स्थानीय महत्व के अत्यावश्यक मुद्दे, काम करने की भावी रणनीति और इन मुद्दों के आधार पर संभावित एडवोकेसी बिंदुओं की पहचान करने के लिए आयोजित की गई थी। यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास था और प्रतिभागियों ने स्थानीय महत्व के 20 से अधिक मुद्दों की पहचान की। इनमें से पीआरआई सदस्यों को मजबूत करने, स्थानीय नेतृत्व और कानूनी वकालत से संबंधित तीन चुनिंदा मुद्दों पर विस्तृत अभ्यास किया गया। इस समीक्षा एवं योजना बैठक में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मीटिंग

25 सितंबर

यूएनईपी ने बातचीत और प्रमुख समूहों की भूमिका को बढ़ाने के लिए सदस्य देशों और प्रमुख समूहों का एक मंच शुरू किया है। पैरवी से अजय झा ने 25 सितंबर को फ्रेंड्स मीटिंग के दूसरे समूह में भाग लिया, जो UNEA 7 के संभावित विषय पर चर्चा करने पर केंद्रित था, जो कि दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठक से पहले 22 अगस्त और 22 सितंबर को तैयारी बैठकें भी हुईं।

राज्य-स्तरीय एडवोकेसी कार्यशाला 'एम्पावरिंग वॉयसेज - ब्रिजिंग द गैप'

4 से 6 अक्टूबर, भोपाल

पैरवी, दिल्ली और एका - द कम्यूनिकेटर्स, भोपाल ने मिलकर भोपाल में इस तीन दिवसीय एडवोकेसी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में एडवोकेसी पहल में शामिल समूहों और व्यक्तियों के लिए एक साथ आने, अनुभव साझा करने और एक-दूसरे से सीखने के लिए जगह बनाने का प्रयास किया गया। कार्यशाला के विभिन्न सत्रों के सूत्रधार आयोजक टीम के साथ ही प्रतिभागी टीम से भी थे। कार्यशाला पारस्परिक संवाद और एक-दूसरे से सीखने की प्रक्रिया थी जिसमें प्रतिभागियों के सक्रिय आदान-प्रदान से इनपुट और सबक प्राप्त हुए। प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से एडवोकेसी के लिए योजना बनाना, अभ्यास करना और आगे बढ़ना सीखा। उन्होंने नेटवर्किंग, मोबिलाइजेशन, संचार, दस्तावेजीकरण, टीम निर्माण, लीगल एडवोकेसी और नेतृत्व के बेहतर तरीके भी सीखे। तीन दिवसीय कार्यशाला में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के 40 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

बच्चों व विचाराधीन बंदियों के लिए न्याय तक पहुंच परियोजना की आरंभिक बैठक

20 अक्टूबर, डेहरी, बिहार

बिहार के डेहरी ऑन सोन में एक सार्वजनिक परामर्श में पैरवी द्वारा संचालित इस परियोजना को लॉन्च किया गया। यह परियोजना बिहार के रोहतास जिले में बच्चों, किशोरों और विचाराधीन बंदियों को न्याय तक पहुंच में सहायता करेगी। श्री धीरेंद्र कुमार मिश्रा, जिला न्यायाधीश 2, डॉ. निर्मल सिंह (बाल रोग विशेषज्ञ), श्री ददन पांडे (सदस्य, सीडब्ल्यूसी), रजनीश कुमार सिंह (जिला परिवीक्षा अधिकारी), श्री तेज बली सिंह (सदस्य, जेजेबी) और श्री संतोष उपाध्याय (बाल अधिकार और बंदी अधिकार कार्यकर्ता) के साथ-साथ सरकार, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, सीएसओ और स्थानीय सरकार के कई संबंधित हितधारकों ने बैठक में भाग लिया, जिसे दीनबंधु वत्स और रजनीश (पैरवी) ने संचालित किया। सभी प्रतिभागियों ने पैरवी के इस समयबद्ध हस्तक्षेप की सराहना की और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपने समर्थन का आश्वासन दिया।

प्री-कॉप 29 परामर्श

28 अक्टूबर, भोपाल

पैरवी प्रत्येक वर्ष जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप) से पहले उस कॉप से संबंधित प्रमुख मुद्दों, संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए प्री-कॉप परामर्श का आयोजन करता रहा है। इस वर्ष दिल्ली के बजाय राज्य में इस प्री-कॉप बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इस प्री-कॉप परामर्श का आयोजन एआईजीजीपीए (अटल इंस्टीट्यूट फॉर गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, भोपाल), एमपी काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नर्मदा समग्र के सहयोग से भोपाल में किया गया था। परामर्श में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस परामर्श में सरकार, सीएसओ, शिक्षाविदों और चिकित्सकों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। परामर्श में बाकू कॉप-29 से प्रमुख अपेक्षाओं सहित एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री नरेश पाल गंगवार ने बाकू में कॉप29 के दौरान भारत कार्यालय में जारी किया। भोपाल में प्री-कॉप29 परामर्श से पहले कार्यक्रम को डिजाइन करने, अवधारणा नोट विकसित करने, वक्ताओं और दर्शकों की पहचान करने, वित्तपोषण, लॉजिस्टिक्स की निगरानी करने और तैयारी टीम की निगरानी आदि के लिए एक व्यस्त पखवाड़े और कई तैयारी बैठकों का आयोजन किया गया।

अन्य प्री-कॉप परामर्श: बाकू कॉप29 में अपनी रणनीतियों व गतिविधियों को सूचित करने के लिए कई साझेदारों द्वारा पैरवी के विचार और विशेषज्ञता की मांग की गई थी। पैरवी ने बाधाओं और संभावनाओं के प्रमुख मुद्दों की जानकारी देने और कॉप में सहयोगात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए 5 सितंबर से 8 नबंबर के बीच मौसम, युवा, आईएनईसीसी, आईएसएस, कॉप29 साइड इवेंट पार्टनर्स व एशियन ग्रुप्स के साथ कई भौतिक और ऑनलाइन बैठकों में भाग लिया।

कॉप 29

11-22 नवंबर, बाकू, अज़रबैजान

UNFCCC की पार्टियों का वार्षिक सम्मेलन स्थिरता और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर काम करने वाले संगठनों के लिए प्रमुख आयोजन है। पैरवी कई वर्षों से UNFCCC COP में हस्तक्षेप कर रहा है। इस साल COP29 का आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया गया।

कॉप, साइड इवेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सामूहिक कार्रवाइयों की तैयारी में कई बैकअप कार्य किए जाते हैं। इस वर्ष मौसम का एक प्रतिनिधिमंडल

(CECOEDECON, PAIRVI, PANI और अन्य से बना) कॉप में शामिल हुआ। कई सामूहिक कार्यक्रमों और कार्रवाइयों के साथ-साथ दो पक्षीय कार्यक्रमों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में इस प्रतिनिधिमंडल ने अपनी भूमिका निभाई। कॉप के दौरान 15 नवंबर को पैरवी द्वारा अन्य सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर एक साइड इवेंट 'वास्तविक जलवायु समाधान में सार्वजनिक वित्त का निवेश' का आयोजन किया गया। कॉप में पैरवी समन्वित मांगों, बयानों और कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए APRCEM, UNEP, UNFCCC, MGOS और अन्य समूहों सहित अपने नेटवर्क के माध्यम से एशियाई, यूरोपीय, वैश्विक और स्थानीय भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है। मौसम प्रतिनिधिमंडल ने भारत और विदेश में स्थित अपने सहयोगियों/साझेदारों के साथ मिलकर इस कॉप के दौरान भी इसी दिशा में प्रयास किया।

मौडिहां, चिलबिला और ढेलहां में बैठकें

27 अक्टूबर, 03 नवंबर, 24 नवंबर, डेहरी, बिहार

रोहतास जिले के डेहरी ब्लॉक के मौडिहां, चिलबिला और ढेलहां गांवों में ग्रामीणों के साथ सामुदायिक बैठकें हुईं। इन बैठकों में स्थानीय समुदायों को पैरवी की पहल के बारे में शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो डेहरी, अखोडी गोला और तिलौथू ब्लॉक के 60 गांवों में विशेष ध्यान देने के साथ कानून के जोखिम में फंसे बच्चों और विचाराधीन कैदियों को प्रत्यक्ष कानूनी सहायता प्रदान करता है। इन बैठकों का प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय लोगों को कार्यक्रम के बारे में सूचित करना, समुदाय के साथ एक नेटवर्क बनाना, सीआईसीएल, विचाराधीन कैदियों, व पैरालीगल स्वयंसेवकों की पहचान करना और स्थानीय स्तर की बाल संरक्षण समितियों को मजबूत करने के साथ समुदाय और स्थानीय संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर कानूनी सहायता की पहुंच, दक्षता और समयबद्धता को बढ़ाना है।

महिला बीड़ी श्रमिकों के साथ सामुदायिक बैठक

24 नवंबर, समस्तीपुर, बिहार

समस्तीपुर जिले के सरायरंजन ब्लॉक स्थित अख्तियारपुर गांव में आयोजित सामुदायिक बैठक में खालिसपुर, नरघोघी, गंगसारा और अहमदपुर गांवों के लगभग 50 प्रतिभागी शामिल हुए। बैठक में सरायरंजन प्रखंड की प्रमुख वीणा कुमारी उपस्थित थीं। सभा का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के साथ संबंध मजबूत करना, नेताओं और युवाओं की पहचान करना और उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को समझना था। बैठक ने सामुदायिक जुड़ाव को गहरा करने में और आय सृजन के अवसरों का पता लगाने में मदद की। इसमें भाग लेने वाली अधिकांश महिलाएं अल्पसंख्यक समुदाय से थीं। उन्होंने वैकल्पिक आजीविका की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की और छोटे सामानों की पैकेजिंग या रैपिंग जैसे घर-आधारित काम का सुझाव दिया। प्रतिभागियों ने पीएम आवास योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच से इनकार, राशन कार्डों पर गायब नाम और उचित शौचालय सुविधाओं की कमी के बारे में मुद्दे उठाए। इन चिंताओं के जवाब में समुदाय को अधिक प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए गांवों में सामाजिक सुरक्षा शिविरों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया।

पहाड़िया पीवीटीजी के साथ सामुदायिक बैठक

28 नवंबर, पाकुड़, झारखण्ड

झारखंड के पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत कोसी गोरा गांव में विशेष जनजातीय समूह पहाड़िया के साथ सामुदायिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोसी गोरा, लिट्टीपाड़ा, डंडा कुरिया और छोटा घाघरा गांवों के लगभग 50 ग्रामीण एक साथ आए। बैठक की शुरुआत समुदाय के सदस्यों के पारंपरिक गीत से हुई। पैरवी के दीनबंधु वत्स ने संगठन और समुदाय के सदस्यों के साथ भविष्य के जुड़ाव की संभावना के बारे में जानकारी दी। पैरवी सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने, आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ाने, स्थानीय नेतृत्व विकसित करने और समुदाय के नेतृत्व वाले औपचारिक संघ बनाने के लिए पहाड़िया समुदाय के साथ काम कर रहा है। प्रतिभागियों ने सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, कृषि और समुदाय को सशक्त बनाने की रणनीतियों पर चर्चा की। मुख्य चर्चाएँ कृषि चुनौतियों के इर्द-गिर्द घूमती रहीं, जिसमें पानी की कमी और बेहतर कृषि पद्धतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। समाधान फाउंडेशन के जितेंद्र दुबे ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक समाधान प्रदान किए। इसके अतिरिक्त, हाशिये पर खड़े पहाड़िया समुदाय के सदस्यों को मुख्यधारा में एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष दुबे ने समुदाय, विशेषकर युवाओं को सरकारी योजनाओं और अन्य अवसरों से जोड़ने के लिए व्यवस्थित प्रयासों को प्रोत्साहित किया। ग्राम प्रधान जबरा पहाड़िया और अन्य लोगों ने स्थानीय मुद्दों पर आवाज उठाई, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कार्यक्रमों की मदद से सहयोगात्मक रूप से कार्य योजनाएं विकसित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में विकास पहल का नेतृत्व करने के लिए युवा समूहों के गठन की वकालत की गई और समुदाय की सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए कहा। ग्रामीणों ने वन अधिकार अधिनियम, आयुष्मान भारत, पेंशन योजनाओं और मनरेगा सहित सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में अपने अनुभव और चुनौतियों को भी साझा किया।

साथियों का कोना: संविधान दिवस आयोजन

संविधान पर चर्चा...

नागरिक अधिकार मंच एवं **संविधान जागरुकता फोरम** के संयुक्त तत्वावधान में जबलपुर (मध्य प्रदेश) के बादशाह हलवाई मंदिर, पोली पाथर में संविधान दिवस के अवसर पर जनसभा आयोजित हुई। जनसभा की शुरुआत रिया कबीर और रियान कबीर द्वारा संविधान की प्रस्तावना के वाचन से हुई जिसके बाद मंचासीन अतिथियों श्री संतोष सिंह, (मुख्य अतिथि), ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कार्यकर्ता अब्दुल रहीम (कार्यक्रम अध्यक्ष), राजेन्द्र गुप्ता, भानू, डॉ. सुरेश पटेल व अन्य ने संविधान की आवश्यकता व उद्देश्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। अजय कुमार एवं शिव कुमार ने संविधान के बारे विस्तृत जानकारी एवं संचालन का दायित्व निभाया। वक्ताओं ने मौलिक अधिकार एवं ट्रांस जेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर के योगदान, मौलिक अधिकार तक सामुदायिक पहुंच, संवैधानिक मूल्य व निहित अधिकार आदि विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम के आखिर में उज्जैन से साथी श्री अजय गंगोलिया के द्वारा कबीर भजनों की प्रस्तुति दी गई।

जन जागृति मंच, अभनपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा ग्राम पंचायत घोंट व नीला मैदान, अम्बेडकर चौक बेलभाठा मोड, अभनपुर में संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. भीमराव अंबेडकर व गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तथा संविधान की प्रस्तावना के पाठ व शपथ लेकर किया गया। कार्यक्रम में घोंट, उमरपोटी, आलेखुटा, छांटा, पारागाँव, हसदा न-2 के पंच, सरपंच, मितानिन, समता सैनिक दल की सदस्य, विहान समूह की सदस्य, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, व ग्रामीणजनों ने भाग लिया। जन जागृति मंच की संचालिका अजीत एक्का ने कहा कि संविधान में हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों का उल्लेख किया गया है, जो न सिर्फ लोगों को एकजुट रखता है बल्कि हमें सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी बनाता है। यह हम महिलाओं को सम्मान, समानता और बेझिझक जीने का अधिकार देता है।

जन शिक्षण केंद्र, अंबेडकर नगर, यूपी द्वारा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत ब्लॉक परिसर जलालपुर में संविधान दिवस के अवसर पर परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें ब्लॉक व तहसील स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड विकास अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। संविधान पर चर्चा के साथ ही सहायक कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा द्वारा मनरेगा की योजनाओं, प्रक्रिया व समस्याओं के समाधान के बारे में बताया। सहायक विकास अधिकारी पंचायत नें पंचायत विकास योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत की खुली बैठक में जब तक ग्राम सभा सक्रिय रूप से भागीदार नहीं होगी तब तक ग्राम पंचायत विकास योजना नहीं बन सकती है। महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ द्वारा योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सावित्री बाई फुले नारी संघ की ओर से साझा मांग-पत्र खंड विकास अधिकारी को सौंपा गया।

ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान, अतरौलिया, आजमगढ़ द्वारा अतरौलिया ब्लॉक के 10 ग्राम पंचायतों में लैंगिक हिंसा के विरुद्ध 16 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 26 नवंबर को संविधान दिवस नारी संघ की महिलाओं के साथ मनाया गया। संविधान की उद्देशिका के पाठ के साथ संविधान के विभिन्न बिंदुओं पर महिलाओं के साथ संवाद किया गया। संविधान के 4 प्रमुख मूल्यों न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के बारे में विशेष चर्चा की गई।

अमलतास, लखनऊ द्वारा बाराबंकी जिले के मसौली ब्लॉक के करपिया गांव में लोगों के साथ संविधान दिवस के अवसर पर एक सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान संदर्भ में संविधान के बारे में और संवैधानिक मूल्यों के बारे में चर्चा की गई।

संविधान सप्ताह में 'संविधान स्वर' अभियान

संविधान दिवस (26 नवंबर) पर संविधान प्रदत्त अधिकारों का जश्न मनाने और उन्हें मजबूती से स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के कई संगठन एक साथ आए और 20 से 26 नवंबर तक एक सोशल मीडिया अभियान 'संविधान स्वर' का आयोजन किया। इस दौरान सभी संगठनों ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा संविधान के अनुच्छेदों पर बने पोस्टर, वीडियो, ऑडियो, व अन्य सूचनात्मक सामग्री नियमित रूप से प्रेषित की। इसके साथ ही सभी साथी संस्थाओं/संगठनों ने अपने कार्यक्षेत्र में भौतिक रूप से कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। इस अभियान में दिल्ली, छत्तीसगढ़ व गुजरात के भी साथी शामिल हुए।

मध्य प्रदेश में 20 से 26 नवंबर तक संविधान सप्ताह के दौरान मौलिक अधिकारों पर जागरूकता फैलाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यरत संगठनों द्वारा सोशल मीडिया पर और क्षेत्रीय स्तर पर अभियान चलाया गया जिसे 'संविधान स्वर' नाम दिया गया।। इस अभियान का समन्वय एका और साझा नेतृत्व मंच जैसे संगठनों के कार्यकर्ताओं सुनील, नीलू, फराह और नवीन ने किया।

इस पहल के तहत सोशल मीडिया पर #संविधान_स्वर, #संविधान_और_हम, #आओ_संविधान_पर_बात_करें, और #Samvidhaanweek जैसे हैशटैग के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 14 से 23 तक के अधिकारों पर पोस्टर, वीडियो, ऑडियो, व अन्य सूचनात्मक सामग्री के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई। साथ ही स्थानीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों और सभाओं का आयोजन कर युवाओं और समुदायों को मौलिक अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूक किया गया व लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई ताकि वे इन्हें समझ सकें और उनका सही तरीके से उपयोग कर सकें।

सोशल मीडिया और स्थानीय सभाओं के अलावा अभियान के दौरान 'हमारा संविधान और युवा अधिकारः न्याय की समझ' शीर्षक से एक वैबिनार का आयोजन भी किया गया। बैबिनार में वक्ताओं रोशनी झा (स्पंदन समाज सेवा समिति), रवीना प्रजापति (निवसिड बचपन), शेषराज (लहार समूह), राजेश कलाम (भासा युवा मंच), खलील-उर-रहमान (विधि छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता) एवं नवीन गौतम (मानव अधिकार वकील एवं बाल अधिकार एक्टिविस्ट) ने विषय पर अपने विचार रखे। वेबिनार और स्थानीय कार्यक्रमों में प्रतिभागियों ने संविधान से संबंधित सवाल पूछे और सार्थक चर्चा की।

इस अभियान का फोकस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 23 तक था, जो नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का आश्वासन देता है। अनुच्छेद 15 और 16 में भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा दी गई है, जबकि अनुच्छेद 17 दलितों के खिलाफ अपमानजनक व्यवहार को निषेध करता है। अनुच्छेद 19 व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी और बच्चों से श्रम कार्य लेना।

'संविधान स्वर' अभियान का उद्देश्य लोगों में संवैधानिक अधिकारों के प्रति समझ और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था, ताकि वे समाज में समानता व न्याय को सुनिश्चित कर सकें। इस अभियान ने भारतीय संविधान के मूल्यों को आम जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई। इस पहल ने यह संदेश दिया कि संविधान के मौलिक अधिकारों और जिम्मेदारियों को आत्मसात करके ही एक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण संभव है। अभियान के साथियों ने इस अभियान के दौरान भविष्य के लिए कार्ययोजना भी बनाई जिसमें युवाओं की नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन, संविधान पर आधारित अलग-अलग कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत करना आदि शामिल हैं।

इस अभियान में ऐटक (भोपाल), साझा नेतृत्व मंच (हरदा), स्पंदन समाज सेवा समिति (खंडवा), पैरवी (दिल्ली), एका-द कम्युनिकेटर्स (भोपाल), कच्छ महिला विकास संगठन (भुज), विकास संवाद (भोपाल), क्राई, उदय सोसाइटी (खंडवा), नागरिक अधिकार मंच (जबलपुर), पहल जनसहयोग विकास संस्थान (बड़वानी), निवसिड बचपन (भोपाल), एकता परिषद (सीहोर), राष्ट्रीय युवा संगठन, जन जागृति मंच (अभनपुर, छत्तीसगढ़) शामिल रहे एवं अन्य संस्थाओं ने भी सक्रिय योगदान दिया। ■■

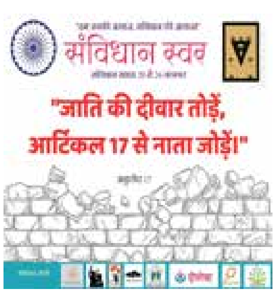

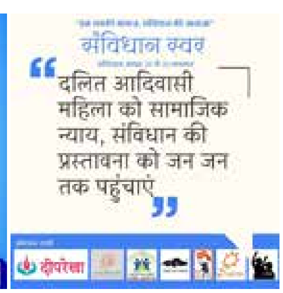

उदासीनता एक ख़तरनाक बीमारी है
जो लोगों को प्रभावित कर सकती है

- डॉ. भीमराव अंबेडकर

संपादक मंडलः **प्रो. संजय भट्ट, अजय के. झा, रजनीश साहिल**
पैरवी, जी-3, प्रथम तल, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024 द्वारा सीमित प्रसार के लिए प्रकाशित
संपर्क - फोनः 011-29841266, 46101652 | ईमेलः pairvidelhi1@gmail.com, info@pairvi.org | वैबसाइटः www.pairvi.org